



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

No. 873]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1325(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए मैसर्स ओडिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित करती है:

परंतु मैसर्स ओडिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, इनके द्वारा किए गए पूर्वोक्त कार्य की बाबत सृजित डाटा राज्य सरकार को दे दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16/08/2015-एम. VI (पार्ट-1)]

बिपुल पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2017

G.S.R. 1325(E).—In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the M/s. Odisha Mining Corporation Limited and M/s. West Bengal Mineral Development and Trading Corporation Limited for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that the M/s. Odisha Mining Corporation Limited and M/s. West Bengal Mineral Development and Trading Corporation Limited shall make over the data generated by them, in respect of the prospecting operations undertaken by them, to the State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/08/2015-M. VI (Pt.1)]

BIPUL PATHAK, Jt. Secy.

6370 GI/2017